हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 63

वीरवार, 12 मार्च, 2015/21 फाल्गुन, 1936(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11-03-00 AM

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की बैठक प्रारम्भ होते ही श्री सुरेश भरद्वाज ने नियम 67 के अन्तर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति मांगी। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि भूमि अधिग्रहण नियम के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा अध्यादेश के जरिए लाए गए संशोधन के विरोध में हिमाचल प्रदेश राज्य के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2015 को चक्कर, शिमला में किए गए अन्दोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई मुठभेड़ में राज्य बी0जे0पी0 के उपाध्यक्ष, श्री राजेश शारदा की आंख में गम्भीर चोटें आईं तथा तथा दोनों पक्षों के व्यक्ति घायल हुए। अतः विषय की गम्भीरता एवं महत्ता के दृष्टिगत आज का निर्धारित समस्त कार्य रोक कर इस विषय पर नियम 67 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दी जाए; जिसका डॉ0 राजीव बिन्दल, श्री सतपाल सिह सत्ती, श्री रविन्द्र सिंह, श्री महेन्द्र सिंह व प्रो0 प्रेम कुमार धुमल नेता प्रतिपक्ष ने भरपूर समर्थन किया।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि "आज प्रातः दिनांक 12 मार्च, 2015 को डॉ0 राजीव बिन्दल, सर्वश्री रविन्द्र सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश भारद्वाज एवं श्री रिखी राम कौंडल, माननीय सदस्यों से

नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसी विषय पर श्री महेन्द्र सिंह से भी नियम 62 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैंने पहले ही सरकार को विस्तृत टिप्पणी प्रेषित करने हेतु भेज दिया है। जैसे ही नियम 62 के अन्तर्गत सरकार से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त होगी, मैं उस पर अपना विनिश्चय दूंगा। इसलिए नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवाने का कोई औचित्य नहीं है।"

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई व्यवस्था से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो कर नारे लगाने लगे।)

11-39-50AM

प्रश्नोत्तरः

(विपक्ष द्वारा किए जा रहे शोर-गुल के बीच माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नकाल आरम्भ किया। तारांकित प्रश्न की घोषणा होते ही विपक्ष के सभी सदस्य सदन के बीचों-बीच सभामण्डप में आ गए और नारे लगाते रहे।)

(I) तारांकित प्रश्नः

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 1390, तारांकित प्रश्न संख्या 1503,1505,1508,1509 और 1510 माननीय अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा नहीं पूछे गए, अतः ये प्रश्न कार्यवाही का अंग नहीं बने। तारांकित प्रश्न संख्याः 1501, 1502, 1504, 1506, 1507 और 1511 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 1512 से 1516 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्याः 646, 698 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 752 से 757 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-02-10 PM

2. **कागज़ात सभा पटल परः**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2007-I, दिनांक 24.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2014 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-7/2010-I, दिनांक 28.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.02.2015 को प्रकाशित।

(2) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा(1) और(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2013-2014 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने विधिक माप विज्ञान माप विज्ञान अधिनियम, 2009(2010 का 1) की धारा 53 की उप-धारा(4) के अन्तर्गत हिमाचल विधिक माप

विज्ञान(प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2014 की प्रति सभा पटल पर रखी।

12-03-12 PM

3. **सदन की समिति के प्रतिवेदनः-**

(1) **श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **78वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **79वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **80वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **81वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **भाषा कला एवं संस्कृति विभाग** से सम्बन्धित है।

(अपराह्न 12-04-57 बजे विपक्ष के सभी सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिगर्मन किया)।

12-04-58 PM

4. **अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2014-2015 पर सामान्य चर्चा, मतदान एवं पारणः-**

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हाने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26, 27,28,29,30,31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित आर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धन राशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

मांगे पूर्ण रूप से पारित हुई।

12-06-56 PM

5. **विधायी कार्यः**

(1) **सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना**

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक-1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक-1) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक-1) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक-1) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010(2010 का विधेयक संख्यांक-1) पारित हुआ।

12-10-30 PM

अगली मद्द पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मुख्य मंत्री ने अध्यक्षपीठ के अनुमति से विपक्ष के सदस्यों द्वारा की गई नारेबाजी एवं बहिर्गमन की निन्दा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष की अनुमति के बिना नियम 67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु जो प्रदर्शन किया और सदन के कार्य संचालन में जो गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, इसकी वह भर्त्सना करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने 29 जनवरी, 2015 को चक्कर, शिमला में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मुठभेड़ का भी ज़िक्र किया और वास्तविक स्थिति सदन के समक्ष रखी।

(इसी बीच 12-22-56 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी सदस्य पुनः सदन में प्रवेश कर अपने-अपने स्थानों पर बैठ गए)

12-23-45 PM

मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत कथित घटना की स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ0 राजीव बिन्दल, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, श्री सुरेश भारद्वाज एवं श्री रविन्द्र सिंह ने पुनः नियम 67 के अन्तर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु अध्यक्षपीठ से दृढ़तापूर्वक आग्रह किया जिसे अध्यक्ष महोदय ने नामंजूर कर दिया।

(सदन की बैठक 01-09-40 बजे अपराहन दोपहर के भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज विहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में अपराह्न 2.15 बजे पुनः आरम्भ हुई)।

02-24-00 PM

6. **राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः**

(1) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, मुख्य संसदीय सचिव** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च, 201 5 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

(श्री मती आशा कुमारी, सभापति 02-30-00 बजे अपराह्न पदासीन हुई)।

(2) **श्री बम्बर ठाकुर ने** प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया तथा चर्चा की।

सदन की बैठक अपराह्न 03-25-55 बजे शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।